माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

Website : www.msuniversity.ac.in
Email ID : registrar msuniversity.ac.in

प्रो0 ओमकार सिंह
प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर लागू करने सम्बन्धी नियमावली

01. पाठयक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी :

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं शासनादेशों के आधार पर तैयार यह नियमावली माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में सत्र 2021–22 से स्नातक तीन विषयों वाले पाठयक्रमों बी0ए0, बी0एस–सी0 एवं बी0कॉम0 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर न्यूनतम समान पाठयक्रम एवं च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) सी0बी0सी0एस0 पर आधारित नवीन पाठयक्रम के साथ सेमेस्टर सिस्टम में लागू होगी है सत्र 2020–21 में अथवा इससे पूर्व में प्रवेशित स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त होने तक यह नियमावली लागू नहीं होगी ।

1.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नाकोत्तर पाठयक्रमों / कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नवीन पाठयक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगी।

1.3 बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 पर आधारित पाठयक्रम सत्र 2023–24 से लागू होगी।

1.4 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में यह व्यवस्था सत्र 2023–24 से लागू होगी।

1.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत की जा रही यह व्यवस्था चिकित्सा, कृषि, तकनीकी शिक्षा (बी0टेक0, एम0सी0ए0, आदि), विधि (बी0ए0 एल0एल0बी0, एलएलबी0, इत्यादि) एवं शिक्षक शिक्षा (बी0एड0, बी0पी0एड0) में इनकी नियामक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार करने तथा इनकी संस्तुति के बाद ही लागू की जायेगी।

02. कार्यक्रम एवं संकाय :

2.1 माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनुपर में अभी संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्थायें जब तक माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर की परिनियमावली बनने तक पैतृक विश्वविद्यालय, चौ0 चरण सिंह, विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली के अनुरूप ही चलेगी।

2.2 विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री एन्टीग्रेटिड, छः वर्ष में पी0जी0डी0आर0 प्रमाण–पत्र (Certificate) तथा आठ वर्ष की पी0एच0डी0 की शोध उपाधि मिलेगी यथा बीए0, बी0एस–सी0 बी0कॉम0,एम0ए0, एम0एस–सी, एम0कॉम0, पी0जी0डी0आर0, पी0एच0डी0 इत्यादि ।

2.3 विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267 / सत्तर–3–2021–16 (26) / 2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार निम्नवत होगी :
1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय ।

नोट – भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (बी0ए0) में दी जायेगी।

2.4 बिन्दु 2.3 में चर्चित 'संकाय' एक ही प्रवृति के विषयों को मिलाकर बनाया गया एक समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय इत्यादि । विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस संकाय से दो विषयों का चयन करेगा वह उसके मुख्य विषय (Major Subjects) कहलायेंगे तथा वह विद्यार्थी की अपनी संकाय (Own Faculty) या निजी संकाय मानी जायेगी ।

2.5 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा। एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रेक्टिकल के पेपरों को पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों (थ्योरी / प्रेक्टिकल) के कोड अलग–अलग होंगे।

03. प्रवेश प्रक्रिया :

3.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तथा डब्ल्यू0आर0एन0 नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग/सम्बद्ध महाविद्यालय में उपलब्ध सीटो तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।

3.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो मुख्य विषयों के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बी0ए0, बी0एस–सी0 अथवा बी0कॉम0 में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा ।

3.3 प्रवेश हेतु आरक्षण एवं अतिरिक्त अंको की व्यवस्था माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय सहारनपुर की प्रवेश समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के अनुसार होगी। प्रवेश समिति को प्रवेश के नियमों में माननीय कुलपति जी की अनुमति से परिवर्तन करने का अधिकार निहित होगा।

04. तीन मुख्य विषयों की चयन व्यवस्था :

4.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध किसी एक संकाय यथा कला, विज्ञान, एवं वाणिज्य संकाय में से चुनाव करना होगा, तत्पश्चात् उसे **उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा,** जिसका आवंटन मेरिट के आधार पर महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या एवं उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसमे वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अथवा पाँच वर्ष स्नातक या परास्नातक उपाधि तक अध्ययन कर सकेगा।

4.2 उपरोक्त दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी एक और तीसरे मुख्य विषय का चुनाव करना अनिवार्य है जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है। इस तरह **विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन स्नातक स्तर पर करना होगा,** जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होगें तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

4.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उसके क्रम में परिवर्तन भी कर सकता है।

4.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमुनसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी परन्तु वह एक वर्ष अथवा दो वर्ष के बाद विषम सेमेस्टर में ही विषय परिवर्तन कर सकता है अर्थात वह, तृतीय, एवं पंचम (विषम) सेमेस्टर में विषय बदल सकता है।

05. माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव :

5.1 नयी शिक्षा नीति में बहु–विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा महाविद्यालय में दूसरे संकायों के उपलब्ध विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (Pre - Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2 तीसरे मुख्य (**Major**) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कम से कम एक पेपर अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से होना आवश्यक है। **स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रतिवर्ष माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।**

5.3 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में महाविद्यालय में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव/आवंटन, उस संस्थान /महाविद्यालय में संचालित उपलब्ध विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें संकाय में संचालित उसी कोर्स की अन्य कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

5.5 माइनर इलेक्टिव पेपर के परीक्षा पाठयक्रम का स्तर मुख्य पेपर के स्तर से निम्न अथवा समान होगा।

5.6 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का एक पेपर (4/5/6 क्रेडिट का) होगा न कि पूर्ण विषय ।

5.7 एन0सी0सी0 एक लघु–वैकल्पिक विषय, (माईनर इलेक्टिव) के रूप में माना जायेगा।

5.7.1 एन0सी0सी0 को **लघु–वैकल्पिक (Minor Elective)** पेपर के रूप में भी सम्मिलित किया गया है। यह पेपर कुल **12 (3×4) क्रेडिट का होगा प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट अर्थात प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा** (शासनादेश संख्या 1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2021 दिनांक 09.08.2021)।

5.7.2. एन0सी0सी0 लघु–वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन0 सी0सी0 कैडेटों के लिये उपलब्ध होगा परन्तु कालांतर में संसाधन एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

5.8 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सभी विषयों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकायों के छात्रों के लिए माइनर इलैक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार करा सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज, एवं विद्धत परिषद से नियमानुसार अनुमोदति कराये जायेगें। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

06. कौशल विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों का संचालन एवं चुनाव करने सम्बन्धी दिशा निर्देश :

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18–08–2021 के अनुसार निम्न व्यवस्था लागू होगी :

6.1. <u>पाठयक्रम :</u> विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वत परिषद एवं कार्यपरिषद से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

6.2. पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/कौशल विकास परिषद, आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF - National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों के प्लेसमेन्ट एवं इंटर्नशिप में सुविधा मिल सके । जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0ए0फ0/स्किल डेवलपमेन्ट कॉउंसिल/शासकीय विभाग के पाठयक्रम उपलब्ध है उनमे इन पाठयक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप में उनका सहयोग आसानी से लिया जा सके।

6.3. <u>पाठयक्रम के प्रकार :</u> कौशल विकास पाठयक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं जिनका चुनाव विद्यार्थी अपनी पसन्द एवं महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर सुविधानुसार कर सकेगा।

6.3.1 व्यक्तिगत प्रकृति (Individual nature) : एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम ।

6.3.2. प्रगतिशील प्रकृति (Progressive nature) : एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर भी वह अपने में होगा।

6.4. विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/सैद्धांतिक (Theory) एवं स्किल/ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की व्यवस्था विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन सुनिश्चित करेगा ।

6.5. सामान्य/सैद्धांतिक (Theory) पाठ्यक्रम का एक केडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटों का होगा । **3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी (1–क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/लैब (2 क्रेडिट) की होगी । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (प्रथम चार सेमेस्टरों) के** प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम (3×4=12 क्रेडिट) अर्थात प्रति सेमेस्टर में एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational Skill Development Course) प्रथम चार सेमेस्टरों में पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

6.6. रोजगारपरक पाठयक्रम में विद्यार्थी अपनी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रमों का चुनाव भी कर सकते हैं। तथा उन्हें अपने क्रेडिट बैंक में जमा कर सकते हैं। परन्तु एक वर्ष में कुल 6 क्रेडिट/दो वर्षों में कुल 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

6.7. विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में वे अपने प्रवेश के पश्चात **UGC-SWAYAM, MOOCs** इत्यादि पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रोजगारपरक पाठ्यक्रम चुन सकते है । विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठयक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अर्जित किये गये सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कराएगें जिससे यह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान क्रेडिट बैंक में जोड़ा जा सके।

07. समझौता ज्ञापन (MoU) :

7.1. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08 (35)/2020 दिनांक 22–02–2021 के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा भी स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किये जाने अपेक्षित है।

7.2. महाविद्यालय में संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान अपने निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, इजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमी, विशेषज्ञ व्यक्तियों एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगारपरक पाठ्यक्रमो/प्रशिक्षण/इंटर्नशिप के लिये विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय अपने स्तर से सम्बन्धित विभागों से MoU करके समन्वय स्थापित करेंगे ।

7.3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) करते समय विद्यार्थियों से सम्बन्धित वहां पर उपलब्ध सभी आवश्यक सुविधाओं एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

7.4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों के बीच अन्तः विषय (Interdisaplinary) समझौता ज्ञापन (MoU) भी कर सकते हैं।

8. सीट निर्धारण :

महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सम्बन्धित विभागो द्वारा विभिन्न स्किल पाठयक्रम तैयार किये जायेगें तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

09. अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम विषय (Co-Curricular Courses) :

9.1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रथम से छटे सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक पेपर सह–पाठ्यक्रम विषय का लेना अनिवार्य होगा जोकि क्वालीफाइंग होगा। सतत आंतरिक मुल्यांकन एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत अंकों के साथ सह–पाठ्यक्रम विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी की ग्रेडशीट पर इनके प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित सह– पाठयक्रम विषय के पेपर निम्नवत है :

9.1.1 **प्रथम सेमेस्टर** : भोजन पोषण और स्वच्छता (Food Nutrition and Hygiene) ।

9.1.2 **द्वितीय सेमेस्टर** : प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health) ।

9.1.3 **तृतीय सेमेस्टर** : मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Enviromental Studies) ।

9.1.4 **चतुर्थ सेमेस्टर** : शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga) ।

9.1.5 **पंचम सेमेस्टर** : विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness) ।

9.1.6 **पष्ठम सेमेस्टर** : संचार कौशल और व्यक्ति विकास (Communication Skill and Personality Development) ।

9.2. स्नातक स्तर के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनो की व्यवस्था विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी ।

नोट – अनिवार्य सह–पाठयक्रम *Co-Curricular* विषय का सिलेबस को सारणी 1 में दिया गया है, अधिक जानकारी के लिये *uphed.gov.in* के लिंक पर जाकर भी विस्तृत पाठयक्रमों को डाउनलोड कर सकते हैं।

- **सारणी–1,: Syllabus of Compulsory Co-Curricular Courses in UG**

Semester/ course code	Title of the course	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Priority of Faculty/ Department Assigned
I Z010101	भोजन पोषण और स्वच्छता Food Nutrition and Hygiene	Concept of Food and Nutrition	Nutrients Macro and Micro	1000 Days's Nutrition	Community Health Concept	Home Science, Physical Education
II Z020201	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थय First aid and Basic Health	Basic First Aid		Basic Sex Education	Mental Health and Physiological First Aid	Zoology, Life Science, Medical
III Z030301	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन Human Values and Environment Studies	Universal Human Values and Principles of Ethics	Decision Making	Basics of environment	Environment laws and Conversion	Sociology, Botany, History Enviroment Science
IV Z040401	शारीरिक शिक्षा एवं योग Physical Education and Yoga	Physical Education	Concept of Fitness, Wellness, Wieght Management and Lifestyle	Yoga & Meditation	Traditional Games of India and Recreation in Physical Education	Physical Education
V Z050501	विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजीटल जागरूकता Analytic Ability and Digital Awareness	Problems Solving & Decision Making	Analytical Ability & Logical Reasoning	Computer Basics, Use of MS WORD & EXCEl	Web Surfing Cyber security	Math, Statistics, Physics, Computer Science, English
VI Z060601	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास Communication Skill and Personality Development	Personality & Personal Grooming	Interview Preparation & Group discussion	Body Language and behaviour	Art of Good Communicaton	Vocational studies, Management

10. शोध परियोजना (Research Project) :

10.1. स्नातक/स्नातकोत्तर/पी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थीयों को तीसरे वर्ष में एक लघु शोध परियोजना तथा पंचम में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी0जी0डी0आर0 में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के अनुसार बाद में अलग से निर्धारित करेगा।

10.2. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गए अलग से तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना अन्तः विषयक (Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

10.3. शोध परियोजना एक शिक्षक पर्यवेक्षक (Supervisor) के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य सहपर्यवेक्षक (Co-Supervisor) किसी उद्योग, कम्पनी, तकनीकी संस्थान, शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, **जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में शिक्षक पर्यवेक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जायेगा।**

10.4. **स्नातक स्तर** एवं पी0जी0डी0आर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधरित ग्रेड अंकतालिका में तो अंकित होगें, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

10.5. **स्नातक (शोध सहित)** एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा ।

11. कक्षाओं के संचालन हेतु समय–सारिणी :

11.1. सभी महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time-Table) इस प्रकार तैयार करेंगें, जिससे कि छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय ओवरलैपिंग न हो।

11.2. महाविद्यालय संस्थान अपनी समय–सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रख सकते हैं ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से पाठ्यक्रमों का चयन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण / इंटर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय–सारिणी के पश्चात कराया जा सकता है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक पूरा दिन भी निर्धारित किया जा सकता है।

12. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि, पाठयक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश :

12.1. विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty की पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (यानि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यताधारित कर सकेगा ।

12.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात द्वितीय वर्ष, (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty) को पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

12.3. विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty के पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात पांचवे एवं छठवें समेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अवधि 03 वर्ष Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी का यह पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले पाठ्यक्रम संचरना (Course Module) अर्थात् स्नातक शोध संकाय [Bachelor (Research) in Faculty] में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा। प्रथम चार सेमेस्टर में न्यूनतम 92 क्रेडिट के साथ पूर्ण करने पर ही डिप्लोमा मिलेगा तथा प्रथम छः सेमेस्टर में न्यूनतम 132 क्रेडिट के साथ पूर्ण करने पर स्नातक संकाय [Bachelor in Faculty] की डिग्री प्रदान की जायेगी।

13. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

13.1. **क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य :** थ्यौरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण होगा ।

13.2. प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क / सर्वे आदि के एक क्रेडिट के पेपर ने दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क / सर्वे कार्य आदि कराना होगा। **शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्यौरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।**

13.3. **क्रेडिटस का राज्य स्तर पर संरक्षण :** क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816 / सत्तर–3–2021 दिनांक 09–08–2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा–निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।

13.4. वर्षवार/मॉड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम : विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (अनुसंधान सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट आर्जित करने पर स्नाकोत्तर अनुसंधान सहित (पी0जी0डी0आर0) की उपाधि ले सकता है (सारिणी–2) ।

13.5. क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात रि–क्रेडिट की सुविधा : एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी इन क्रेडिट का उपयोग दुबारा नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके कुल क्रेडिट में से 46 क्रेडिट घट जायेगें जोकि उपयोग किये माने जायेगें। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा । जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष वास्तविक तृतीय वर्ष में (92=46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोगा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिये भी लागू होगी । यदि विद्यार्थी छः सेमेस्टर तक लगातार अध्ययन करता है तथा वह सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो 132 क्रेडिट के आधार पर स्नातक डिग्री ले सकता है।

13.6. योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा : यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner)/कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष की न्यूनतम निर्धारित आवश्यक समयावधि पूर्ण करने के बाद ही मिलेगी । लेकिन इस अतंराल के दौरान वह किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

13.7. संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं :_ विद्यार्थी द्वारा द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की श्रेणी में क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषयों के आवश्यक क्रेडिट द्वितीय वर्ष में भी बिना विषय बदले प्राप्त करने होगें।

13.8. छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री : तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

13.9. बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed) :_यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको **बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed)** की उपाधि (Degree) दी जाएगी तथा वह केवल उन विषयों में ही स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी । सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

13.10. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि–क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ : यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर देता है और यह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

13.11. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट :_रोजगारपरक पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात प्रतिवर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होगें । विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगारपरक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा। रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रथम चार सेमेस्टरों में अनिवार्य रूप से लेना है अर्थात द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के बाद पांचवे एवं छटें सेमेस्टर में रोजगारपरक पाठयक्रम नहीं लेना है।

सरणी : 2 नयी शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार स्नातक व स्नाकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Subjects		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/Survey /Project	Minimum Credits For The year	Cummulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/Diploma/ Degree
Year/Semester		Major	Major	Major	Minor/Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own/Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vaocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--	46	(46) Certificaete in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--		
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	1(4/5/6)	1	1	--	46	(92) Diploma In Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2)		1	1	--		
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor (Reserch) in Faculty
	VII	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)		
5	IX	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)	48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4)						1 (4)		
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D Thesis		Ph.D. in Subject

Note : * = Qualifying Courses ; Th-Theory, Pract- Practical

14. उपस्थिति एवं परीक्षा व्यवस्था :

14.1. विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कटेगा, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाने पर वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

14.2. किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल विद्यार्थी के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी । सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

14.3. सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होगें जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित किया जायेगा।

14.4. सभी विषयों की परीक्षा के कुल 100 अंकों में से 25 अंकों के लिये सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation : CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक विषय में 25 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन पाठयक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

14.5. महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत् आन्तारिक मूल्यांकन करायेगें। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य रिर्पोटों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखा जायेगा । **सभी विषयों की लिखित विवरणात्मक परीक्षा होगी तथा अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी।**

14.5. **मुख्य विषय (Major Subject), माइनर इलैक्टिव एवं अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों में निरंतर आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation, CIE) :**

14.5.1. सभी थ्योरी/कोर्सेस/पेपरों में अधिकतम 25 अंकों का निरन्तर आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा।

14.5.2. सभी मुख्य विषय (**Major Subject**), माइनर इलैक्टिव एवं को–कुरीकुलर के पेपरों में पाठ्यक्रम तैयार करते समय बोर्ड ऑफ स्टीडज द्वारा निरंतर आन्तरिक मूल्यांकन की विधि को पाठ्यक्रम में दी जाएगी। अगर किसी पाठयक्रम/पेपर में आन्तरिक मूल्यांकन की विधि नहीं दी गयी है, तो वहाँ पर आन्तरिक मुल्यांकन में निम्नलिखित विधि को अपनायेगें –
प्रत्येक थ्यौरी पेपर में **एक लिखित** विवरणात्मक प्रकृति की अधिकतम 15 अंको की आन्तरिक परीक्षा होगी। **दो क्लास टैस्ट** (Class Test)/असाइंमेन्ट (Assigment)/क्यूजस (Quizs)/प्रजेन्टेशन (Presentation)/स्माल प्रोजेक्ट (Small Project), इत्यादि (जोकि सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से पारदर्शी नियम बनाकर किया जायेगा), प्रत्येक 04 अंकों का होगा तथा एक अंक 76–85% उपस्थिति के लिए एवं दो अंक 86–100% उपस्थिति के लिये दिये जायेगें।

14.5.3. **प्रयोगात्मक पेपरों की परीक्षा में :** सम्बन्धित शिक्षक एक पारदर्शी तंत्र विकसित करेगा जोकि सभी पेपरों के लिए उपयुक्त होगी।

14.5.4. निरंतर आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) में बैक पेपर (Back Paper) अथवा अंक सुधार (Improvement) की कोई व्यवस्था नहीं होगी। केवल छात्र द्वारा सम्पूर्ण सेमेस्टर परीक्षाओं में उपस्थिति कम होने पर ही होगी । (There will be no back paper or improvement of CIE, except for a student taking full semester exams again due to short attendance) ।

14.5.5. सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) पेपर को पढाने वाले प्राध्यापक/प्राध्यापकों द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

14.5.6. पूर्व में ली गयी परीक्षा के अंक अगली आन्तरिक परीक्षा के अंकों से पहले घोषित कर दिये जायेगें। मूल्यांकन की गयी उत्तर पुस्तिका/क्वीज/प्रोजेक्ट एवं सम्बन्धित सामग्री को छात्रों को दिखायेगें। एवं वापिस लेकर अपनी निगरानी में सम्बन्धित शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखेगें।

14.5.7. अध्यापक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के द्वारा अधिकतम 25 अंकों के पूर्णांक में से प्राप्तांक को विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करेगें। तथा इसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में शीघ्र अति शीघ्र जमा करायेगें।

14.5.8. सत्त आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान स्वंय वहन करेगा।

14.6 विश्वविद्यालय परीक्षा (University Examination = UE) :

14.6.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षायें करायी जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में सभी लिखित एवं प्रयोगात्मक कोर्स के मेजर/माइनर पेपरों की परीक्षाये अधिकतम 75 अंको की होगी। लिखित परीक्षा अवधि अधिकतम 3 घण्टे की होगी।

14.6.2 थ्योरी परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पत्र का समय तीन घण्डा होगा, जिसमें तीन प्रकार के प्रश्न पुछे जायेगें इनका विवरण निम्न प्रकार है :

Section	Types of Questions	Number of Question	Number of Quations to attempt	Each Question will carry maximum marks	Total marks of the section
A	Very Short Answer	5	5	3	15
B	Short Answer	3	2	7.5	15
C	Long Answer	5	3	15	45
Total		13	10	-----	75

14.6.3 रोजगार परक /वोकेशनल, को–कुरीकुलर आदि कोर्सों की परीक्षाओं के बारे में सम्बन्धित सैक्शन में दिया गया है।

14.6.4 सभी प्रयोगात्मक परीक्षायें अधिकतम 100 (25 अंक आतंरिक मूल्यांकन + 75 अंक विश्वविद्यालय परीक्षा) अंकों की होगी।

14.6.5 विश्वविद्यालय परीक्षाओं का शुल्क वर्तमान में चौ0 चरण सिंह, विश्वविद्यालय, मेरठ के नियमों के अनुसार लिया जायेगा । भविष्य में इस व्यवस्था में माननीय कुलपति जी/कार्यपरिषद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

14.6.6 प्रत्येक थ्यौरी अथवा प्रैक्टिकल पेपर के अधिकतम अंक 100 होगें। प्रत्येक छात्र को अधिकतम 100 अंकों में से सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) एवं विश्वविद्यालय परीक्षा (UE) दोनों को मिलाकर अंक दिये जायेगें। इसमें से ही मेजर/माइनर/कोकुरीकुलर/रोजगारपरक कोर्सों में अंक दिये जायेगें जिससे सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं विश्वविद्यालय परीक्षा के प्राप्तांक संयुक्त होगें, लेकिन प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से पास होने के लिए न्यूनतम 25 अर्थात 33 प्रतिशत अंक आवश्वयक होगें।

14.7 **रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा :** रोजगारपरक पाठयक्रमों की थ्योरी/ सामान्य भाग की परीक्षा 1 क्रेडिट की विश्वविद्यालय से सम्बन्ध संस्थानों/महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप 2 क्रेडिट की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

14.7.1 स्किल पार्टनर के द्वारा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी द्वारा किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफ लाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन करेगें।

14.7.2 थ्योरी एवं स्किल पार्ट (Theory and Skill Part) के प्राप्तांकों को शीघ्र ही महाविद्यालय द्वारा **ABACUS-UP** पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगारपरक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी स्किल प्रमाण–पत्र जारी कर सकते हैं।

15. **शासनादेशों के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं पर लागू होगी । प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अलग जारी गाइडलाइन के अनुसार होगा । महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेंगे ।**

16. NEP-2020 के अंतर्गत बी0ए0, बी0एस–सी0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रमों हेतु ग्रेडिंग प्रणाली :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/सत्तर–3 2021–16 (26)–2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की संस्तुति की गयी है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग की समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा ग्रेउस का स्थानांतरण किया जा सके। स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, यह पूर्णतः यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर आधारित है।

16.1 ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 1032/सत्तर–2022–08(35)/2020, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखन0, दिनांक 20.04.2022 को करते हुए 10 पॉइट ग्रेडिंग प्रणाली को मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के **माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय**, **सहारनपुर के** द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसको सारणी 3 में नीचे दिया गया है।

सारणी–3 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत स्नातक पाठयक्रमों के लिए अंगीकृत 10 पांइट ग्रेडिंग प्रणाली

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पांइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified	≥ 40 or above	-
NQ	Not Qualified	≤ 40 less than	-

16.2. **उत्तीर्ण प्रतिशत :**

16.2.1 Qualifying पेपर में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

16.2.2 उपरोक्त तालिका 3 में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एंव प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत ही होगा।

16.2.3 तीन वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर एक सह–पाठ्यक्रम कुल छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (Co-Curricular Courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor research project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

16.2.4 प्रथम चार सेमेस्टरों में प्रति सेमेस्टर एक कौशल विकास कोर्स कुल चार कौशल विकास कोर्स (Skill Development/Vocational Course) भी Credit Course है तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर–3–2021–08(33) 2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल पर आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंको में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे । प्रशिक्षण/ ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

रोजगारपरक/कौशल विकास [Vocational/Skill Development] विषयों की परीक्षओं का आयोजन विश्वविद्यालश द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके **Skill Development** पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

16.2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांको की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

16.2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु **(अ)** विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा **(ब)** आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर 100 अंकों में से न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

16.2.7 सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु **(अ)** विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा **(ब)** आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर 100 अंकों में से न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

16.2.8 किसी भी कोर्स / पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) तथा 40 प्रतिशत अंक (सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों में) मिलते हैं, तब ही वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

16.2.9 उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगे।

16.2.10 यदि छात्र / छात्रा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कुल मिलाकर न्यूनतम 23 तथा मुख्य विषयों में 18 क्रेडिट के पेपर उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे अगले वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा तथा उसके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम में **Promoted** अंकित किया जायेगा।

16.2.11 यदि कोई छात्र / छात्रा / मेजर / माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (वाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में वाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

16.2.12 यदि कोई छात्र / छात्रा मेजर / माइनर विषयों की वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर 100 में से न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख **F (Fail)** अंकित किया जायेगा।

16.2.13 यदि कोई छात्र / छात्रा प्रथम / तृतीय / पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में किसी एक पेपर में भी अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित / यू0एफ0एम0 है तो उसके परीक्षा परिणाम में Fail But Promoted एवं यदि सभी पेपर्स में उत्तीर्ण है तो **Pass & Promoted** अंकित किया जायेगा।

16.2.14 द्वितीय / चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षोपरान्त विद्यार्थी अगले वर्ष में नियम 3.2 व 3.3 के अनुसार **Promote** किया जायेगा तथा तदानुसार उसकी ग्रेडशीट में **Promoted** अथवा **Not Promoted** अंकित किया जायेगा।

17. कक्षोन्नति (Promotion) :

17.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

17.2. वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

(अ) विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) में कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हो तथा **(ब)** विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

17.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (Required) कुल 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य / माइनर / स्किल, इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उतीर्ण करना आवश्यक होगा।

18. बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) परीक्षा :

18.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

18.2. विद्यार्थी को बैंक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) की सुविधा सम सेमेस्टर्स के लिए सम सेमेस्टर्स, में तथा विषम सेमेस्टर्स की विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

18.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है. में उपलब्ध होगा।

18.4. बैंक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिये कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार परीक्षा दे सकता है। किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

18.5 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलेपमेंट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकता है।

18.6 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक को–कुरिकुलर कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

18.7 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ पेपर उत्तीर्ण कर लिये हैं तो भविष्य के सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैक पेपर के रूप में उर्त्तीण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

18.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मलित होने हेतु अनुमत होगा। उदाहरणार्थ–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मलित होने हेतु अनुमन्य होगा।

18.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमन्य होगा।

19. काल अवधि :

स्नातक के किसी भी एक वर्ष (दो सेमेस्टरों) को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या : (Explanation) यदि विद्यार्थी सतत् में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें, किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के लिए मिलेगें।

20. CGPA की गणना :

20.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सारणी 4 में दिये गये सूत्रों से की जायेगी –

सारणी 4 : SGPA एवं CGPA की गणना के लिये सूत्र

j^{th} सेमेस्टर के लिये : SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci	यहाँ पर Ci= number of credits of the ith course in jth semester. Gi = grade point scored by the student in the ith cource in jth semester. Sj = SGPA of the jth semester. Cj = Total number of credits in the jth semester.
CGPA = Σ (Cj×Sj)/ Σ Cj	

20.2 **CGPA** को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा।

समतुल्य प्रतिशत = CGPA × 9.5

20.3 विद्यार्थियों को सारणी–5 के अनुसार श्रेणी (Devision) प्रदान की जायेगी :

सारणी–5 (Table-5) : श्रेणी का CGPA के आधार पर निर्धारण

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 बराबर तक CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

20.4 SGPA/CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् सरणी के अनुसार किया जायेगा :

20.4.1. Example for Calculation of SGPA

Subject	Course	Course type	Credit of paper	International Assessment	External Examination	Total Max. marks 100	Grade	Grade point	Grade Value
				Max Marks 25	Max Marks 75				
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	**B**	6	24
	Course 1 (Pr)	Major	2	22	70	92	**O**	10	20
Maths	Course (Th)	Major	4	24	65	89	**A+**	9	36
	Course (Pr)	Major	2	23	56	79	**A**	8	16
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	**A+**	8	48
History	Course 1	Major	4	21	60	81	**A+**	9	36
Health & Hygiene	Co-Curricular Course	Co-Curricular	Qualifying	19	45	64	**Q**		
	Total		**22**						**180**
				Theory Evaluation Max Marks	**Training Evaluation Max Marks**				
Bee Keeping	Vocational course	**Skill**	**3**	**30**	**57**	**87**	**A+**	**9**	**27**
	Grand Total		25						207

** Grade value = Grade point × credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total grade value/Total Credits = 207/25 = 8.28 [In a semester]

Note – Take only two digits after decimal all calculations.

Similarly :

- The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total grade value/Total credits [In all the semesters till now]

20.4.2 Calculation of CGPA

Semesters 1	**Semesters 2**	**Semesters 3**	**Semesters 4**
Credits : 25 SGPA : 8.28	Credits : 21 SGPA : 6.08	Credits : 25 SGPA : 8.90	Credits : 21 SGPA : 7.22

Thus, **CGPA** = (8.28 × 25 + 6.08 × 21 + 8.90 × 25 + 7.22 × 21)/92 = 708.80/92 = 7.70

Hence, **equivalent percentage** = (7.70 × 9.5) = **73.15**

And **Devision** will be **First**

(प्रो0 ओमकार सिंह)

प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर

समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर।